प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 349/2023

अनवान : –

1. विशाल पुत्र रणजीत जाति मेघवाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता रोशनी पत्नी रणजीत जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. रोशनी पत्नी रणजीत जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. मदनलाल पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री मदन मोहन जोशी **वादीगण**
2. श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादी**
3. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 24/5/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 101/99 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 3/25 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता स0 132/124 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि में से 2/35 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी स0 1 के पिता व वादीया स0 2 के पति रणजीत का वाद भूमि में 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार था तथा रणजीत पुत्र रामलाल वादी स0 1 के पिता व वादिया स0 2 के पति फौत हो चुका है तथा रणजीत के फौत होने के बाद वाद भूमि जो रणजीत के हिस्से की थी को अनुचित रूप से प्रतिवादी स0 1 ने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया जो वादीगण के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ है।

वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है जिसके मुताबिक राजीनामा रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 101/99 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम 3/25 हिस्सा अर्थात 0.4554 हैक्ट भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात 0.2270 हैक्ट हिस्से के वादीगण स0 1 व 2 बहिब के संयुक्त खातेदार काश्तकार रहेंगे तथा रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता स0 132/124 की कुल 5.3130 भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम 2/35 हिस्सा भूमि में अर्थात 0.30 हैक्ट भूमि मे वादीगण स0 1 व 2 संयुक्तत बहिब 0.1518 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर वादी उपरोक्तानुसार अपना हक हिस्सा दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:34 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 2 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य पुरानी व नयी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रणजीत आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 101/99 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 3/25 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता स0 132/124 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि में से 2/35 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 101/99 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 3/25 हिस्सा अर्थात 0.4554 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा 0.2277 हैक्ट भूमि में वादीगण स0 1 व 2 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष भूमि का प्रतिवादी स0 1 का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता स0 132/124 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 2/35 हिस्सा भूमि अर्थात 0.3036 हैक्ट भूमि वादीगण स0 1 व 2 संयुक्तत बहिब 0.1518 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष 0.1518 हैक्ट भूमि का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी स0 1 खातेदार काश्तकार रहेगा। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ...24.5.23... को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 349/2023

अनवान : –

1. विशाल पुत्र रणजीत जाति मेघवाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता रोशनी पत्नी रणजीत जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. रोशनी पत्नी रणजीत जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. मदनलाल पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 349 सन 2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 101/99 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 3/25 हिस्सा अर्थात 0.4554 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा 0.2277 हैक्ट भूमि में वादीगण स0 1 व 2 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष भूमि का प्रतिवादी स0 1 का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता स0 132/124 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 2/35 हिस्सा भूमि अर्थात 0.3036 हैक्ट भूमि वादीगण स0 1 व 2 संयुक्तत बहिब 0.1518 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष 0.1518 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 खातेदार काश्तकार रहेगा। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 24/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:34 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका